Sixteenth Loksabha

pan>

Ttile: Need to abolish section 9 sub clause 4 of Goods and Services Tax.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जालंधर को स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देश और विदेश का कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है, जिसने जालंधर के बने हुए बल्ले, फुटबॉल और हॉकी से न खेला हो।

सर, जब जी.एस.टी. रिज़ीम आया तो जो छोटी आइटम्स थीं, जैसे छोटे वेट, वेट रॉड्स, स्कीपिंग रोप, जिससे हम जम्प करते हैं, जो व्हिसल बजाते हैं, स्पोर्टस हेल्मेट और जितनी भी मैन्युअल मशीन्स लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं, उनको हायर स्लैब में रख दिया गया है। इसका असर यह हुआ कि मेरे क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वे बंद होने के कगार पर हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये आइटम्स हैं, मिनिमम जीएसटी रिज़ीम जो पांच प्रतिशत है, उनमें लाया जाए। एजुकेशन और हेल्थ केयर का जो रिजीम है, सारी आइटम्स जो लोकल मैन्युफैक्चर होती हैं, उनको उसमें लाया जाय ताकि हमारे यहां इंडस्ट्रीज खड़ी रहें।

एक सैक्शन नाइन सब-क्लाउज फोर है, जिसके जरिए जो छोटे मैन्यूफैक्चरर्स हैं, जो घरों में फुटबॉल्स सिलते हैं, रैकेट्स बनाते हैं, जब वे बाजार में आते हैं तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि सैक्शन नाइन सब-क्लाउज फोर को एबॉलिश किया जाए। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Santokh Singh Chaudhary.